National Journal of Multidisciplinary Research and Development
ISSN: 2455-9040
Impact Factor: RJIF 5.22
www.nationaljournals.com
Volume 3; Issue 1; January 2018; Page No. 497-503

स्कूल बस सुरक्षा प्रतिमान के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुपालन की अवमानना एक अपराध (सागर नगर के परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन)

Dr. Vivek Mehta, Dr. Deepak Gupta
Department of Criminology & Forensic Science**,** Dr. H.S. Gour Central University, Sagar Madhya Pradesh, India

सारांश
किसी भी स्वस्थ एवं सुरक्षित राष्ट्र की परिकल्पना तभी संभव है जब वहां का नौनिहाल एक विद्यार्थी के रूप में स्वस्थ एवं सुरक्षित हो। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग अविभावक के रूप में अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए कृत–संकल्पित नजर आता है किंतु स्वयं के बच्चों की सुरक्षा के प्रति लगभग लापरवाह है। घर और स्कूल में बच्चे सुरक्षित हैं परन्तु घर और स्कूल के बीच का रास्ता एवं समय ऐसे भीषण हादसों को जन्म देता है जिसमें देश के हजारों विद्यार्थियों की जान चली जाती है या फिर गम्भीर चोट का शिकार हो जाते हैं। जिसमें स्कूल बस, स्कूल वेन, आटो रिक्शा तथा अन्य वाहनों की जघन्य लापरवाही का एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूल बस सुरक्षा के प्रतिमान के संदर्भ में गाइड लाइन का अनुपालन न करना सबसे बड़ा कारण है। देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए स्कूली छात्र–छात्राओं के सुरक्षार्थ एक गाइड लाइन प्रतिपादित की है जिसमें स्कूल बस सुरक्षा प्रतिमान के संदर्भ में दिशा निर्देशों का निर्धारण किया है।

मूल शब्द : स्कूल, बस, दिशा–निर्देश, उच्चतम न्यायालय, अनुपालन, अविभावक, बस चालक, सुरक्षा, छात्र–छात्राएँ, अवमानना।

प्रस्तावना
कानून का बनना एवं उसका परिपालन होना दो पृथक प्रसंग हैं। कानून के लागूकरण के लिए कानून का पालन कराने वाली संस्थाएँ यथा– पुलिस, न्यायालय एवं जेल की महती भूमिका है जो सतत् रूप से अपनी अकर्मण्यता तथा लापरवाही के कारण संदेह के घेरे में हैं। भ्रष्टाचार के चलते आर.टी.ओ. भी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूर्ण आस्था एवं लगन से नहीं कर पाता। सरकारी एवं प्रायवेट स्कूलों में बच्चों को घर से स्कूल तक लाने तथा वापिस पहुँचाने की जिम्मेदारी प्रायवेट स्कूल बस, स्कूल वेन तथा ऑटो चालकों की है परंतु एक ओर जहाँ स्कूल प्रबंधन स्वहितार्थ स्कूल के बच्चों के प्रति संवेदनशील नहीं है वहीं दूसरी ओर बस, कार या ऑटो मालिक अधिक लाभ प्राप्त करने के लिये उन तमाम मापदण्ड को ताक पर रख देते हैं जो स्कूली छात्र–छात्राओं की सुरक्षा से संबंधित हैं। किसी भी स्वस्थ एवं सुरक्षित राष्ट्र की परिकल्पना तभी संभव है जब वहां का नौनिहाल एक विद्यार्थी के रूप में स्वस्थ एवं सुरक्षित हो। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग अविभावक के रूप में अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए कृत संकल्पित नजर आता है किंतु स्वयं के बच्चों की सुरक्षा के प्रति लगभग लापरवाह है। घर और स्कूल में बच्चे सुरक्षित हैं परंतु घर और स्कूल के बीच का रास्ता एवं समय ऐसे भीषण हादसों को जन्म देता है जिसमें देश के हजारों विद्यार्थियों की जान चली जाती है या फिर गम्भीर चोट का शिकार हो जाते हैं। जिसमें स्कूल बस, स्कूल वेन , ऑटो रिक्शा व अन्य वाहनों की जघन्य लापरवाही एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदत्त स्कूल बस सुरक्षा के प्रतिमान के संदर्भ में गाइड लाइन का अनुपालन न होना सबसे बड़ा कारण है। देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस दिशा में संज्ञान लेते हुए स्कूली छात्र–छात्राओं के सुरक्षार्थ एक गाइड लाइन प्रतिपादन की है जिसमें स्कूल बस सुरक्षा प्रतिमान के संदर्भ में दिशा निर्देशों का निर्धारण किया गया है।

साहित्य सर्वेक्षण
बच्चें समाज का भविष्य हैं और प्रत्येक समाज को हरेक बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता बनाए रखना चाहिए। हालांकि, भारतीय समाज इस महत्वपूर्ण दृष्टिकोण पर असफल रहा है क्योंकि कुछ निवर्तमान की घटनाओं में 'रियूटर्स फाउंडेशन' द्वारा किए गए एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन ने सूडान, युगांडा, कांगो, इराक और सोमालिया के बाद स्कूली बच्चों के लिए दुनिया भर में भारत को छठे सबसे खतरनाक देश के रूप में मतदान किया। स्कूल बस और बच्चे की सुरक्षा उन मापदण्डों में से एक है जो बच्चों के खतरों को मापने के लिए उपयोग की जाती है। स्कूल को बस लेना सबसे सुरक्षित तरीका होना चाहिए। सनकीपन और जानबूझकर की गई दुर्घटनाओं के अलावा बोर्ड पर बच्चों की सुरक्षा के लिए कई अन्य खतरे भी मंडराते हैं।[1]

भारत में बच्चों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कुछ निवर्तमान प्रकरण पर एक दृष्टिपात कर सकते हैं।
- मुंबई – स्कूल की बस में फसे 22 बच्चों को जला दिया गया।
- मुंबई – स्कूल बस क्लीनर द्वारा 4 वर्षीय लड़की से बलात्कार किया।
- अंबाला – स्कूल बस व ट्रक की टक्कर से 8 बच्चों की मौत हो गयी।[2]
- 1997 में उत्तरी दिल्ली के महत्वपूर्ण सरकारी स्कूल लुडला कैसल नं 2 की स्कूली बस यमुना नदी में गिरी जिसमें 120 बच्चे सवार थे। इनमें से 28 बच्चों की मौत हो गयी।[3]
- उत्तर प्रदेश के एटा शहर में स्कूली बच्चे मौत की नींद सों गये। ऐसे ही उ.प्र. के भदोही में स्कूल बस ट्रेन से टकरा गयी। इसमें 8 बच्चों की मौत हो गई तथा 11 बच्चे घायल हुए। यह हादसा वाराणसी–इलाहाबाद रेलमार्ग पर माधो सिंह और कटका स्टेशन के बीच में कैसरमऊ रेलवे क्रॉसिंग पर

हुआ जिसमें टाटा मैजिक चालक ने ईयरफोन लगा रखा था।[4]

- पंजाब के अमृतसर में 50 स्कूली बच्चों से भरी बस नहर में गिर गई। जिसमें 8 बच्चों की मौत हुई और 29 मासूम घायल हो गये। गांव महावा के पास पुल से गुजरते वक्त बस बेकाबू हो गयी और नहर में जा गिरी।[5]
- कर्नाटक के कुण्डापुर में स्कूल वैन तथा बस में टक्कर से 2 मासूमों की मौत तथा 12 बच्चे घायल हो गये।[6]
- पंजाब के जालंधर मोगा राज्य राजमार्ग–71 पर चालक की लापरवाही से 13 बच्चों की मौत हो गयी तथा 9 गम्भीर रूप से घायल हो गये। चालक बस तेज गति से चला रहा था। बस अकाल अकादमी स्कूल की थी।[7]
- स्कूली वैन संचालकों की मनमानी के पीछे बच्चों के अविभावकों की लापरवाही और उदासीन रवैया भी एक प्रमुख कारण है। अविभावक पूरी तरह अपने बच्चों को स्कूल पर छोड़ देते हैं और स्कूल प्रबंधन इस मामले में व्यावसायिकता की अंधी दौड़ में व्यवहारिकता और संवेदनशीलता को ताक पर रखकर सिर्फ पैसे कमाने की जुगत में लग जाता है। यदि ऐसा नहीं है तो क्या प्रबंधन को स्कूल से लेकर ठेके पर चलने वाले वाहनों में किस तरह बच्चे आ रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं है। अगर स्कूल प्रबंधन थोड़ा भी सख्त हो जाए तो ऐसी दुर्घटनाएं रोकना बहुत आसान हो जायेगा।[8]
- भारत में स्कूली वैन चालकों के लिए मोटर वाहन अधिनियम में साफ तौर पर एक कानून बनाया गया है। रोड और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने साफतौर पर अपनी गाइड लाइन में कहा है कि स्कूलों में चलाई जाने वाली बसों और वैन के चालकों को प्रबंधन से मिलकर गाइड लाइन को मानने को बाध्य होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के दिशा–निर्देशानुसार प्रत्येक स्कूल को इस प्रकार की एहतियात बरतने की सख्त जरूरत है। अगर कोई स्कूल इस निर्देश को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्यवाही की जा सकती है।[9]

मूल अध्ययन

2014 के एक आंकड़े के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में 23,723 दुर्घटना हुई। ये आंकड़े सिर्फ संस्थाएँ नहीं हैं अपितु लगभग 500,000 बसों पर 27,000,000 स्कूली बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं अपना भविष्य सँवार रहे हैं उनके माता–पिता, प्रशासन, सरकार, स्कूल प्रबंधन या समाज का प्रबुद्ध वर्ग उन स्कूली बच्चों की सुरक्षा के माहौल में सुधार के संबंध में क्या कर सकता है यह एक सोचनीय दृष्टिकोण है।[10]

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्कूल बसों में सुरक्षा प्रतिमान के संदर्भ में दिशा निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने स्कूल बस के लिये नीचे कुछ अनिवार्यता निर्धारित की हैं।

1. बस के पीछे और सामने "स्कूल बस" लिखा जाना चाहिए।
2. अगर यह एक किराए की बस है तो "स्कूल ड्यूटी " पर स्पष्ट रूप से संकेत दिया जाना चाहिए।
3. बस में "फर्स्ट एड बॉक्स" होना चाहिए।
4. बस की खिड़कियां क्षैतिज ग्रिल के साथ फिट की जानी चाहिए।
5. बस में एक अग्निशामक यंत्र होना चाहिए।
6. बस पर स्कूल का नाम और टेलीफोन नं लिखा जाना चाहिए।
7. बस के दरवाजे विश्वसनीय ताले के साथ फिट किया जाना चाहिए।
8. स्कूल बैग सुरक्षित रूप से रखने के लिए सीटों के नीचे एक जगह फिट होनी चाहिए।
9. बस में स्कूल से एक अटेंडेंट होना चाहिए। स्कूल के कैब स्पीड गवर्नर्स के साथ 40 कि.मी. की अधिकतम गति सीमा के साथ फिट होना चाहिए।
10. कोई भी माता–पिता/संरक्षक या शिक्षक भी इन सुरक्षा मानदण्डों को सुनिश्चित करने के लिए यात्रा कर सकते हैं।
11. स्कूल के कैब का शरीर वाहन के चारों ओर बीच में 1.50 मि. मी. चौड़ाई के हरे रंग की एक क्षैतिज पट्टी के साथ हाइवे पीले रंग का हो जायेगा और वाहन के चारों तरफ 'स्कूल कैब' को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
12. चालक को भारी वाहन चलाने का अनुभव कम से कम 5 वर्ष का होना चाहिए। अनवार्य रूप से हल्के नीले रंग की शर्ट, हल्के नीले रंग की पैंट तथा काले जूते पहनना चाहिए। उसका नाम (आई.डी.) शर्ट के साथ दिखना चाहिए।
13. एक चालक जिसने एक वर्ष में लाल बत्ती कूद, अपराध लेनदेन का उल्लंघन या अनाधिकृत व्यक्ति को ड्राइव करने के लिए अनुमति देने के लिए दो बार से अधिक चुनौती दी है, उसे नियोजित नहीं किया जा सकता है।
14. यदि विद्यालय के बच्चों की आयु 12 वर्ष से कम है, तो बच्चों की संख्या अनुमोदित बैठने की क्षमता के डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगी।12 वर्ष के ऊपर के बच्चे को एक व्यक्ति माना जाएगा।
15. एक चालक को एक बार भी तेज गति से , नशे में वाहन चलाना, खतरनाक ड्राइविंग आदि के अपराध के लिए चुनौती दी गई है, नियोजित नहीं किया जा सकता है।
16. बस चालक को स्कूल टैक्सी में लगाये जा रहे बच्चों की पूरी एक सूची लेनी होगी, जिसमें नाम, कक्षा, आवासीय पता, रक्त समूह और स्टापेज मार्ग योजना आदि को इंगित किया जायेगा।[11]
    - मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2 (47) के अनुसार, एक शैक्षणिक संस्था की बस भी परिवहन वाहन है और इसलिए सड़क पर चलने की अनुमति की आवश्यकता है। एक परिवहन वाहन होने के कारण हर साल अनिवार्य फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ता है जिसके बिना परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता । उन्हें सलाह दी गई है कि स्कूल बसों के ड्राइवरों को यातायात अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है।[12]

वैधानिक अधिकारियों के अलावा स्कूल के बच्चों के माता पिता को इन क्षेत्रों में सक्रीय रुचि रखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्धारित दिशा–निर्देश आत्मसात किये गये हैं। इस दिशा में कुछ बिंदु निम्नवत् है।

- यह सुनिश्चित करना कि स्कूल द्वारा या स्वयं द्वारा परिवहन का तरीका बिलकुल सुरक्षित है।
- अपने बच्चों को स्वयं स्कूल में लेते समय बच्चों की सुरक्षा का उचित ध्यान रखना चाहिए।
- माता–पिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बच्चों को सड़कों के सुरक्षित

उपयोग के लिए सही ज्ञान और कौशल प्राप्त हो। उन्हें अपने बच्चों को सड़क के बुनियादी नियम, चलना और सड़क पार करना, कैसे वाहन में चढ़ना–उतरना या बोर्ड को पड़ना आना चाहिए।

- माता–पिता को अपने बच्चों को ड्राइव करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

- बच्चे अच्छे पर्यवेक्षक होते हैं अतः माता–पिता को यातायात नियमों का सावधानीपूर्वक पालन करके एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। बच्चों की सुरक्षा हर माता–पिता की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता होना चाहिए।

यह स्कूल के अधिकारियों और शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है कि वे स्कूल के बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आवश्यक ज्ञान, कौशल और रक्षित एक सुरक्षित सड़क उपयोगकर्ता बने। इस दिशा में निम्न बिंदु आवश्यक है।

- शिक्षकों को स्कूली बच्चों में सड़क उपयोग की दिशा में एक जिम्मेदार दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करना चाहिए।
- शिक्षकों को स्कूल के बच्चों को सड़क और यातायात के बारे में आवश्यक ज्ञान देना चाहिए।
- शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को स्कूल में प्रवेश और सुरक्षित रूप से छोड़ने वाली बसें या वाहन सुरक्षित व ठीक से खड़ी हैं।
- स्कूल बस के उतरने और बोर्डिंग के समय बच्चों की निगरानी और देखभाल की जानी चाहिए।
- बच्चों और बस ड्राइवर को नियंत्रित करने के लिए हर स्कूल बस के साथ एक शिक्षक/परिचर साथ होना चाहिए।
- शिक्षकों को वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी चाहिए और बच्चों को एक ही स्थान पर रखना चाहिए यदि स्कूल बस आने में विफल रहती है तो।
- अनिवार्य सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल बसों की नियमित जांच होनी चाहिए।
- अगर कोई स्कूल बस या कोई वाहन, जिसके द्वारा बच्चे स्कूल जाते हैं, यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो शिक्षकों को इसके बारे में अपने प्रिंसिपल या ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम में सूचित करना चाहिए।

नवीनतम परिवर्धन

स्कूल बस निःसंदेह छात्र परिवहन का सबसें सुविधाजनक साधन है। लेकिन दुर्भाग्य से, स्कूल के वाहनों द्वारा यात्रा करने वाले छात्रों को स्कूल बसों में सुरक्षा समस्याएँ आ रही हैं। इसलिए, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कानून हैं। सड़क परिवहन प्राधिकरण ने इन कानूनों के लाभों को संक्षेप में बताया है ताकि छात्रों और माता–पिता को समान रूप से आराम, सुरक्षा प्रदान की जा सके। इन लाभों में समय पर विद्यालयों तक पहुंचने, वाहन निकास के परिणामस्वरूप प्रदूषण उत्सर्जन को कम करने और ट्रैफिक जाम को कम करने के उपाय शामिल हैं।

- स्कूल बसों में जी.पी.एस. और सी.सी.टी.वी. अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल परिसर में सी.सी.टी.वी. की स्थापना अनिवार्य कर दी गयी है। सीसी कैम, सी.सी.टी.वी. का फुटेज 60 दिनों के लिए रखा जाना चाहिए और किसी भी जांच उद्देश्य के मामले में पुलिस को सौंप दिया जाना चाहिए।
- स्कूल बस चालकों को स्कूल बस सीमा से परे छात्रों के साथ संपर्क करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है और छात्रों के साथ सामाजीकरण भी सीमित है।
- स्कूल मैदान में प्रवेश अधिकृत लोगों तक सीमित है। सकूल के परिसर में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को असफल होने के बारे में सूचित किया जाएगा।
- माता–पिता को आई.डी. कार्ड जारी किए जाते हैं, जिन्हें उनके बच्चों को लेते समय प्राप्त किया जाना चाहिए।

भारत में स्कूल बसों के लिए मानक आवश्यकताएं

- भारत में सभी स्कूल बसों को बाहर गोल्डन पीला रंग अनिवार्य है। यह आई एस 5–1994 के अनुसार होगा।
- पहचान के लिए 'गोल्डन ब्राउन' रंग की 150 मि.मी. चौड़ाई की एक बैंड खिड़की के स्तर के नीचे बस के सभी तरफ मुहैया कराया जा सकता है।
- भारत में सभी स्कूल बसों पर दो आपात कालीन निकास अनिवार्य हैं एक दाएं हाथ की तरफ बस के पीछे की तरफ आधी दूरी पर तथा दूसरा बस के पीछे। बच्चों को इन दरवाजों को संचालित करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- जब भी बस का मुख्य द्वार आपातकालीन निकास में से एक खुला है, बस की गति कम होना तथा ड्राइवर को प्रकाश, बजर या अन्य उपयुक्त साधनों को चमकाने के माध्यम से खुले दरवाजे के संकेत मिलना चाहिए।
- जमीन से सबसे कम चरण की ऊँचाई 220 मि.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए। बस चलने की स्थिति में बस में चढ़ना–उतरना प्रतिबंधित होगा।
- जब भी बस का द्वार खुलता है तब सिग्नल, चेतावनी दी जानी चाहिए।
- एक छेड़छाड़ प्रूफ स्पीड गवर्नर जो कि सी.एम.बी. (ए) आर 1989 के नियम 118 की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि चालक ने वाहन की गति सीमा पार नहीं की हो, प्रदान की जानी चाहिए।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य निरूपित किये गये हैं।

1. उन वीभत्स परिस्थितियों का कारणात्मक विश्लेषण करना जो स्कूल बस दुर्घटनाओं में बच्चों की असामयिक मृत्यु का कारण हैं।
2. स्कूल बस सुरक्षा प्रतिमान के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुपालन हेतु जन जागृति लाना।
3. स्कूली छात्र–छात्राओं की सुरक्षा हेतु नये आयामों की खोज करना।
4. शैक्षणिक संस्थाओं का उत्तरदायित्व निर्धारण करना।

परिकल्पना

1. स्कूली छात्र–छात्राओं की स्कूल बस की सड़क दुर्घटनाओं का मूल कारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुरक्षा हेतु निर्दिष्ट दिशा–निर्देशों की अवमानना ही है।
2. स्कूली छात्र–छात्राओं की सुरक्षा में स्कूल प्रशासन, स्कूल बस मालिकों तथा अविभावकों की सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित सुरक्षा प्रतिमानों की अनभिज्ञता एवं अव्हेलना सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है।

शोध का अध्ययन क्षेत्र

सागर नगर के प्रमुख स्कूलों, जिनमें सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों यथा– केंद्रीय विद्यालय,सेंट जोसेफ कॉन्वेट स्कूल, पारस विद्या बिहार स्कूल, वात्सल्य स्कूल, दीपक मेमोरियल स्कूल, ग्रेट मेन इंटरनेशनल स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर पगारा, सेंट मेरी स्कूल मकरोनियां, पर्ल पब्लिक स्कूल, आर्मी स्कूल, किट्स एकेडमी, शैलेष मेमोरियल में विद्या अध्ययन करने वाले छात्र–छात्राओं के निवास, बस स्टॉप तथा उपरोक्त स्कूलों तक का क्षेत्र शोध पत्र के अध्ययन क्षेत्र में समाहित किया गया है।

निदर्श

सागर नगर के प्रमुख 12 स्कूलों से संबद्ध वे वाहन जो छात्र–छात्राओं को स्कूल लाने व वापिस ले जाने हेतु उपयोग किये जाते हैं। प्रत्येक स्कूल से 5 ऐसी बसें जो सर्वेक्षण तथा साक्षात्कार के समय प्रथम दृष्टया समक्ष आयीं, ऐसी 60 बसों को निदर्श के रूप में शामिल किया गया है। साथ ही निदर्श के रूप में निर्दिष्ट प्रत्येक बस के 60 वाहन चालकों, प्रत्येक निर्दिष्ट बस से 2 बच्चों अर्थात् 120 बच्चों, 12 स्कूलों के 12 सुरक्षा अधिकारियों तथा नगर के विभिन्न क्षेत्रों से 8 स्कूल बस स्टाफ पर बच्चों के 80 अविभावकों को उद्देश्यात्मक निदर्श के रूप में शामिल किया गया है।

तथ्य संकलन प्रविधि

सागर नगर के प्रमुख 12 स्कूलों से संबद्ध बसों को अवलोकन पद्वति का प्रयोग कर तथ्य एकत्रित किये गये हैं। साथ ही उद्देश्यात्मक निदर्शों का चयन कर वाहन चालकों, स्कूली छात्र–छात्राओं, स्कूल सुरक्षा अधिकारियों तथा अविभावकों से पृथक प्रश्नावली एवं साक्षात्कार अनुसूचि के माध्यम से विभिन्न तथ्यों का संग्रह किया गया है।

मुख्य अध्ययन विश्लेषण

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वार स्कूल बसों में सुरक्षा प्रतिमान के संदर्भ में दिशा–निर्देशों के अनुपालन के संबंध में सागर नगर के प्रमुख 12 स्कूलों से संबद्ध बसों, बस चालकों, छात्र–छात्राओं, स्कूल सुरक्षा अधिकारियों तथा अविभावकों से अवलोकन, प्रश्नावली तथा साक्षात्कार के माध्यम
से कुछ प्रश्न पूछे गये जिसमें अधोलिखित तथ्य सामने आये जो सारणी के माध्यम से प्रस्तुत किये गये हैं। इन तथ्यों का विश्लेषण निम्नवत हैं।

सारणी 1 स्कूल बस सुरक्षा प्रतिमान के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का अनुपालन

क्रं.	सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्कूल बस सुरक्षा हेतु निर्देश	स्कूल बस द्वारा निर्देशों का परिपालन		बस चालकों को सुरक्षा निर्देशों की जानकारी		अविभावकों को सुरक्षा निर्देशों की जानकारी		स्कुल सुरक्षा अधिकारियों द्वारा सुरक्षा निर्देशों का पालन		छात्रों की नजर में सुरक्षा निर्देशों का परिपालन	
		निर्देश संख्या–60		निर्देश संख्या–60		निदर्श संख्या–80		निर्देश संख्या–12		निर्देश संख्या– 120	
		हॉ %	नहीं %	हॉ %	न्हीं %	हॉ %	नहीं %	हॉ %	नहीं %	हॉ %	नहीं%
1	बस के पीछे और सामने स्कूल बस लिखा जाना।	42 70	18 30	37 61.66	23 38.33	18 22.5	62 77.5	8 66.33	4 33.33	26 21.66	94 78.33
2	किराये की बस पर स्कूल ड्यूटी लिखा जाना	2 3.33	58 96. 66	6 10	54 90	6 7.5	74 92.5	7 58.33	5 41.66	8 6.66	112 93.33
3	बस की खिडकियॉ क्षैतिज ग्रिल के साथ फिट होना	32 53. 33	28 46. 66	4 6.66	56 93.33	2 2.5	78 97.5	9 75	3 25	46 38.33	74 61.66
4	बस में अग्निशामक यंत्र होना	3 5	57 95	12 20	48 80	6 7.5	74 92.5	6 50	6 50	48 40	72 60
5	बस पर स्कूल का नाम और टेलीफोन नं लिखा होना	39 65	21 35	8 13.33	52 86.66	23 28.75	57 71.25	7 58.33	5 41.66	86 71.66	34 28.33
6	बस के दरवाजे पर विश्वसनीय ताला होना	3 5	57 95	4 6.66	56 93.33	3 3.75	77 96.25	3 25	9 75	00 00	120 100
7	स्कूल बैग के लिये जगह निश्चित होना	6 10	54 90	18 30	42 70	7 8.75	73 91.25	4 33.33	8 66.66	9 7.5	111 92.5
8	स्कूल बस में स्कूल का एक अटेंडेंट होना	12 20	48 80	9 15	51 85	28 35	52 65	8 66.66	4 33.33	76 63.33	44 36.66
9	स्कूल बस में स्पीड गवर्नर्स का होना	2 3.33	58 96. 66	6 10	54 90	6 7.5	74 92.5	4 33.33	8 66.66	00 00	120 100
10	अविभावकों द्वारा स्कूल बस में यात्रा करना	00 00	60 100	3 5	57 95	9 11.25	71 88.75	00 00	12 100	00 00	120 100
11	स्कूल बस चालक का भारी वाहन चलाने का अनुभव	42 70	18 30	36 60	24 40	56 70	24 30	10 83.33	2 16.66	00 00	120 100
12	स्कूल बस चालक की यूनिफॉर्म	3 5	57 95	26 43.33	34 56.66	36 45	44 55	5 41.66	7 58.33	34 28.33	86 71.66
13	निर्धारित मानदण्डों की अपेक्षा स्कूल बस में बच्चों की संख्या	7 11.66	53 88. 33	7 11.66	53 88.33	42 52.5	38 47.5	2 16.66	10 83.33	6 5	114 95
14	स्कूल बस में बैठे बच्चों की सूची बस में चस्पा होना	00 00	60 100	3 5	57 95	3 3.75	77 96.25	0 00	12 100	00 00	120 100

- स्कूल बसों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षा प्रतिमानों के संदर्भ में दिशा–निर्देशों का अनुपालन हो रहा है या नहीं अवलोकन के आधार पर जिन निदर्शित 60 स्कूल बसों के निरीक्षण में 70% ऐसे वाहन थे जिन पर स्कूल बस लिखा गया है परन्तु 30% ऐसे वाहन भी हैं जिन पर स्कूल बस नहीं लिखा गया। वाहनों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत दिशा–निर्देशों का अनुपालन न कर अवमानना कर रहा है जो स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही है जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। इसी तरह किराये पर चल रहे स्कूली वाहनों पर स्कूल ड्यूटी लिखे जाने के संदर्भ में मात्र 3. 33% वाहनों पर स्कूल ड्यूटी लिखा पाया गया। शेष 97.66% वाहन दिशा–निर्देशों की अवमानना कर रहे हैं जो स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बड़े प्रश्न की ओर इशारा कर रहा है। स्कूल बस की खिड़किया क्षैतिज ग्रिल के साथ फिट हैं या नहीं इसमें मात्र 53.33% वाहन में ही व्यवस्था है शेष 46.66% वाहन सामान्य वाहनों की भांति कार्य कर रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षा मानदण्डों के अनुरूप नहीं हैं और स्कूल बच्चों की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं। 95% स्कूल बस में अग्निशामक यंत्र नहीं है मात्र 5% स्कूल बस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कर सुरक्षा निर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं। शेष वाहन अवमानना कर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। 65% स्कूल वाहनों पर स्कूल का नाम व टेलीफोन नं. लिखा पाया गया परन्तु 35% ऐसे वाहन हैं जिन पर सुरक्षा को लेकर जारी दिशा–निर्देशों की अवमानना का अपराध प्रकरण लागू होना चाहिए क्योंकि यह देश के भविष्य अर्थात् स्कूल छात्र–छात्राओं की सुरक्षा का सवाल है। मात्र 5% स्कूल बस

वाहनों मे बस के दरवाजे पर विश्वसनीय ताला प्रयोग किया जाता है शेष 95% स्कूल वाहनों में यह व्यवस्था नहीं है जो कि स्कूली छात्रों की सुरक्षा हेतु निर्देशित मानदण्डों की घोर अवमानना है। मात्र 10% स्कूल बसों में बच्चों के स्कूल बैग के लिये जगह निश्चित पायी गयी शेष 90% स्कूल बसों में यह व्यवस्था नहीं है जो कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा–निर्देशों की अवमानना है और स्कूल छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता का विषय है। स्कूल बस में स्कूल का एक अटेंडेंट है या नहीं इस संदर्भ में अवलोकन करने पर मात्र 20% स्कूल बस में स्कूल के अटेंडेंट के रूप में शिक्षिकाएँ पायी गयीं शेष 80% स्कूल वाहनों में बच्चों के अलावा कोई अटेंडेंट नहीं मिला। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बच्चों की सुरक्षा को लेकर निर्देशित दिशा–निर्देशों की अवमानना है जो स्कूल छात्रों की सुरक्षा हेतु घातक है। स्पीड गवर्नर्स के संदर्भ में तथ्य बहुत ही अचंभित करने वाले हैं। मात्र 3.3% स्कूल वाहनों में स्पीड गवर्नर्स का प्रयोग है शेष 96.66% स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर्स नहीं पाये गये। यह उच्चतम न्यायालय के स्कूली बच्चों को लेकर जारी दिशा–निर्देशों का उल्लंघन एवं स्कूली छात्र–छात्राओं की सुरक्षा के साथ बड़ी लापरवाही है। अविभावकों द्वारा स्कूल बस में यात्रा करने के संदर्भ में जब अवलोकन किया गया तो ज्ञात हुआ कि एक भी स्कूल बस में अविभावक के रूप में यात्रा करते हुए एक भी अविभावक उपलब्ध नहीं था अर्थात् 100% दिशा निर्देश की अवमानना परिलक्षित हुई साथ ही स्वयं के बच्चों की सुरक्षा के प्रति समाज कितना जागरुक है यह दृश्य भी समझ आया। 70ः स्कूल बस के चालकों को भारी वाहन चलाने का अनुभव ज्ञात हुआ परन्तु 30% ऐसी भी स्कूल बसें समझ आयी जिनके चालकों के पास भारी वाहन चलाने का अनुभव नहीं था। यह स्थिति दिशा–निर्देशों की अवमानना के साथ एक विसंगति है जो स्कूल बच्चों की सुरक्षा के प्रति भीषण लापरवाही है। मात्र 5% स्कूल बसों के चालक गणवेश में नजर आये शेष 95% चालकों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दिशा–निर्देशों की अवमानना समझ आयी। स्कूल बस में बच्चों की निर्धारित संख्या निर्धारित मानदण्डों के संदर्भ में अवलोकन करने पर मात्र 11.66% ही ऐसे स्कूल बस मिले जो दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पाये गये शेष 88.33% स्कूल बस निर्धारित सीट संख्या से कही अधिक संख्या में बच्चों को बिठाये मिले जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की स्कूली बच्चों की सुरक्षा के प्रति निर्दिष्ट मानदण्डों की सीधी अवमानना है। स्कूल बस में बैठे बच्चों की सूची के संदर्भ में अकल्पनीय तथ्य उजागर हुआ। 100% स्कूल बसों में छात्रों की सूची नहीं मिली यहाँ तक कि बस चालकों को इस बात का ज्ञान ही नहीं है।

उपरोक्त समस्त दिशा–निर्देशों जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्कूली छात्र–छात्राओं की सुरक्षा हेतु निर्दिष्ट किये हैं उन सभी के अनुपालन में बड़ी लापरवाही देखने में आयी जो बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। जिन भी स्कूल बसों की पूर्व में दुर्घटनाएँ हुई थीं उपरोक्त दिशा–निर्देशों में अधिकांश का अनुपालन न करने के कारण हुई थीं। यह न केवल सामाजिक तौर पर अपितु कानूनन अपराध भी है।

- स्कूल बस चालकों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूली छात्रों की सुरक्षा हेतु दिशा–निर्देशों की जानकारी है या नहीं साक्षात्कार अनुसूचि द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर जो तथ्य समक्ष आये वो आश्चर्य चकित करने वाले हैं। बस के पीछे और सामने स्कूल बस लिखे जाने के संदर्भ में 61.66% बस चालकों को जानकारी है किंतु 38.33% बस चालक इस बात से अनभिज्ञ हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा हेतु इस तरह के दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। किराये की बस पर स्कूल ड्यूटी लिखा जाने के संदर्भ में मात्र 10% स्कूल बस चालक जानते हैं,शेष 90% स्कूल बस चालक इस बात को जानते ही नहीं हैं। मात्र 6.66% स्कूल बस चालक बस की खिड़कियों को क्षैतिज ग्रिल के साथ फिट होना चाहिए यह जानकारी रखते हैं किंतु शेष 93.33% स्कूल बस चालकों को दिशा–निर्देशों का अभिज्ञान नहीं है। बस में अग्निशमन यंत्र होना चाहिए इस दिशा–निर्देश की जानकारी मात्र 20% स्कूल बस चालाकों को है शेष 80% स्कूल बस चालक सुप्रीम कोर्ट के स्कूली छात्रों की सुरक्षा हेतु दिशा–निर्देशों से अनभिज्ञ हैं। स्कूल बस पर स्कूल का नाम व टेलीफोन नं. लिखा होना के संदर्भ में मात्र 13.33% बस चालक इस दिशा–निर्देश के संबंध में जानकारी रखते हैं किंतु एक बड़ा भाग 86.66% स्कूल बस चालक सुप्रीम कोर्ट के इस दिशा–निर्देश की जानकारी नहीं रखते। मात्र 6.66% स्कूल बस चालक स्कूल बस के दरवाजे पर विश्वसनीय ताला होने की जानकारी रखते हैं वहीं 93.33% बस चालक इस दिशा निर्देश से अनभिज्ञ हैं जो स्कूल बस हादसों का एक बड़ा कारण है। स्कूल बस में बच्चों के बैग रखने के लिये निर्धारित स्थान के संदर्भ में मात्र 30% बस चालक ऐसे हैं जो दिशा निर्देश की जानकारी रखते हैं और 70% स्कूल बस चालकों को इस तथ्य की कोई जानकारी नहीं है। मात्र 15% स्कूल वाहन चालक स्कूल बस में स्कूल के अटेंडेंट के होने की बात जानते हैं शेष 85% यानी एक बड़ा भाग वाहन चालकों का सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट दिशा–निर्देशों की जानकारी नहीं रखते। स्कूल बस में स्पीड गवर्नर्स होने के संदर्भ में मात्र 10% स्कूल बस चालक जानकारी रखते हैं। शेष 90% स्कूल वाहन चालक इस दिशा निर्देश से अनभिज्ञ हैं। लगभग 5% स्कूल बस चालक अविभावकों द्वारा स्कूल बस में यात्रा की जानकारी रखते हैं वही 95% ऐसे भी स्कूल बस चालक हैं जो इस दिशा निर्देश की जानकारी नहीं रखते हैं। भारी वाहन चलाने का अनुभव के संदर्भ में मात्र 60% स्कूल बस चालक सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूली बच्चों की सुरक्षा हेतु दिशा निर्देश के संदर्भ के जानकारी रखते है किंतु 40% स्कूल बस चालक ऐसे दिशा निर्देशों की जानकारी नहीं रखते। मात्र 43.33% स्कूल बस चालक यूनिफॉर्म के संदर्भ में दिशा निर्देशों की जानकारी रखते हैं किंतु एक बड़ा भाग 56.66% इस दिशा निर्देश से अनभिज्ञ है। बच्चों की संख्या स्कूल बस में निर्धारित मानदण्डों के आधार पर हो ऐसा सिर्फ 11.66% स्कूल वाहन चालक जानते हैं किंतु 88.33 स्कूल वाहन चालकों को इस दिशा निर्देश की कोई जानकारी नहीं है। स्कूल बस में बैठने वाले स्कूली बच्चों की सूची के संदर्भ में मात्र 5% वाहन चालक जानकारी रखते हैं शेष 95% बस चालक सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूली बच्चों की सुरक्षा हेतु निर्दिष्ट दिशा निर्देशों के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं रखते हैं।

यह हमारे राष्ट्र का दुर्भाग्य ही हैं कि जिन बच्चों के हाथ में देश के भविष्य की बागडोर है उन बच्चों की सुरक्षा हेतु जो दिशा निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित किये गये हैं इनकी अव्हेलना और अवमानना स्कूल बस चालकों द्वारा निरंतर जारी है और यही स्कूल बस सड़क दुर्घटना का एक महत्वपूर्ण कारक है।

- अविभावकों को सुरक्षा निर्देशों की जानकारी, स्कूल सुरक्षा अधिकारियों द्वारा सुरक्षा निर्देशों का पालन तथा छात्रों की नजर में सुरक्षा निर्देशों के परिपालन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूली छात्र–छात्राओं की सुरक्षा हेतु निर्दिष्ट दिशा निर्देशों के

संदर्भ में जो तथ्य उजागर हुए वो निम्नवत् एक साथ दृष्टिपात किये जा सकते हैं। बस के पीछे और सामने स्कूल बस लिखे जाने के संदर्भ में 77.5% अविभावकों को दिशा निर्देशों की जानकारी नहीं है वहीं 22.5% अविभावक ही ऐसी जानकारी रखते हैं। 63.33% स्कूल सुरक्षा अधिकारी इस दिशा निर्देश के संदर्भ में पालन की बात स्वीकार करते हैं वहीं 33.33% स्कूल सुरक्षा अधिकारी अवमानना की बात स्वीकार करते हैं। छात्रों की नजर में इस दिशा निर्देश के परिपालन में 21.66% छात्रों ने स्वीकार किया है और 78.33% छात्रों के अनुसार इस दिशा निर्देश का परिपालन नहीं हो रहा। किराये की बस पर स्कूल ड्यूटी लिखे जाने के संदर्भ में मात्र 7.5% अविभावकों को सुरक्षा निर्देशों में इस दिशा निर्देश की जानकारी है शेष 92. 5% अविभावकों को इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है। स्कूल सुरक्षा अधिकारियों द्वारा सुरक्षा निर्देशों के अनुपालन में इस दिशा निर्देश के संदर्भ में 58.33% के अनुसार परिपालन होता है किंतु 41.66% स्कूल सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार इस दिशा निर्देश का परिपालन नहीं हो रहा है। मात्र 6.66% छात्रों की नजर में इसका परिपालन होता है किंतु एक बड़ा भाग 93.33% छात्रों की नजर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट स्कूली छात्रों की सुरक्षा हेतु दिशा निर्देशों में इसका अनुपालन नहीं हो रहा है। बस की खिड़कियां क्षैतिज ग्रिल के साथ फिट है या नहीं इस संदर्भ में मात्र 2.5% अविभावक जानकारी रखते हैं शेष 97.5% एक बहुत बड़ा भाग अविभावक के रूप में इस दिशा निर्देश के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं रखता । 75% स्कूल सुरक्षा अधिकारी इस दिशा निर्देश के अनुपालन में सहमति प्रकट करते हैं वहीं 25% स्कूल सुरक्षा अधिकारी इस दिशा निर्देश के अनुपालन को अस्वीकार करते हैं। 38.33% छात्रों की नजर में इस दिशा निर्देश का अनुपालन हो रहा है जबकि एक बहुत बड़ा वर्ग 61.66% छात्रों द्वारा इस दिशा निर्देश के अनुपालन को नकारा गया है। स्कूल बस में अग्निशामक यंत्र होने के संदर्भ में मात्र 7.5% अविभावक जानकारी रखते हैं वही 92.5% अविभावकों को इस दिशा निर्देश के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है। स्कूल सुरक्षा अधिकारियों द्वारा सुरक्षा निर्देशों के परिपालन में 50%.50: स्वीकारोक्ति तथा अस्वीकारोक्ति प्राप्त हुई है। बच्चों की नजर में 40% स्कूली बच्चे इस दिशा निर्देश का परिपालन स्वीकार करते हैं वहीं 60% स्कूली छात्रों ने स्कूल बस में अग्निशामक यंत्र न होना स्वीकार किया है। स्कूल बस पर स्कूल का नाम व टेलीफोन नं. के संदर्भ में 28.75% अविभावक इस दिशा निर्देश की जानकारी रखते हैं किंतु 71.25% अविभावकों को इस दिशा निर्देश का अभिज्ञान ही नहीं है। स्कूल सुरक्षा अधिकारियों में 58.33% इस दिशा निर्देश के अनुपालन को स्वीकार तथा 41.66% अस्वीकार करते हैं। 71.66% छात्रों के अनुसार इस दिशा निर्देश का अनुपालन हो रहा है वहीं 28. 33% छात्रों ने अस्वीकार किया है। बस के दरवाजे पर विश्वसनीय ताला होने के संदर्भ में 3.75% अविभावकों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूली छात्रों की सुरक्षा हेतु इस दिशा निर्देश का ज्ञान है जबकि एक बहुत बड़ा भाग 96.25% अविभावक इस दिशा निर्देश से अनभिज्ञ हैं। मात्र 25% स्कूल सुरक्षा अधिकारियों ने इस दिशा निर्देश के अनुपालन को स्वीकार किया तथा 75% स्कूल सुरक्षा अधिकारियों ने इस दिशा निर्देश के अनुपालन में अवमावना स्वीकार की है। छात्रों की नजर में सुरक्षा निर्देश के रूप में इस दिशा निर्देश के संदर्भ में कुल निदर्श संख्या का 0.0% अर्थात् एक भी छात्र जानकारी नहीं रखता कि बस के दरवाजे पर एक विश्वसनीय ताला होना चाहिए। स्कूल बैग के लिये एक उचित जगह होना चाहिए इस संदर्भ में 91.25% अविभावक ज्ञान नहीं रखते। 66.66% सुरक्षा अधिकारियों ने स्वीकार किया कि इस दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं हो रहा और 92.5% छात्रों को इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं हैं। स्कूल बस में स्कूल का एक अटेंडेट होना चाहिए इस संदर्भ में 65% अविभावक ज्ञान नहीं रखते। 33.33% स्कूल सुरक्षा अधिकारी इस दिशा निर्देश के अनुपालन को अस्वीकार करते हैं वहीं 36.66% छात्रों को इस दिशा निर्देश की जानकारी ही नहीं है। स्कूल बस में स्पीड गवर्नर्स के संदर्भ में 92.5% अविभावक अनभिज्ञ हैं। 66.66% स्कूल सुरक्षा अधिकारियों ने इस दिशा निर्देश की अवमानना को स्वीकार किया है। छात्रों की नजर में 100% छात्र इस दिशा निर्देश के संदर्भ में कोई भी जानकारी नहीं रखते है। अविभावकों द्वारा स्कूल बस में यात्रा करने के संदर्भ में 88. 75% अविभावकों को इस दिशा निर्देश के संदर्भ में कोई ज्ञान ही नहीं है। 100% स्कूल सुरक्षा अधिकारियों द्वारा यह स्वीकार किया गया कि कोई भी अविभावक स्कूल बस में सुरक्षा निर्देशों के तहत यात्रा नहीं करता। छात्रों की नजर में भी 100% अविभावक इस दिशा निर्देश के अनुरूप परिपालन करते नहीं पाये गये। स्कूल बस चालक का भारी वाहन चलाने का अनुभव के संदर्भ में 30% अविभावक ऐसे हैं जो इस दिशा निर्देश के संदर्भ में अनभिज्ञ हैं। 16.66% स्कूल सुरक्षा अधिकारियों ने स्वीकार किया कि स्कूल बस चालक अनुपालन नहीं करते वहीं 100% छात्रों को इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं हैं। स्कूल बस चालक की यूनीफार्म के संदर्भ में 55% अविभावक ज्ञान नहीं रखते। 58.33% स्कूल सुरक्षा अधिकारी ने इस दिशा निर्देश की अवमानना को स्वीकार किया है। 71. 66% छात्रों की नजर में इस सुरक्षा निर्देश का परिपालन नहीं होता। स्कूल बसों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप बच्चों की संख्या के संदर्भ में 47.5% अविभावक अभिज्ञान नहीं रखते। 83.33% स्कूल सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार इस दिशा निर्देश का परिपालन नहीं होता वहीं 95% छात्रों ने भी स्वीकारा कि स्कूल बस में निर्धारित मनदण्डों से अतिरिक्त बच्चों को बिठाया जाता है। स्कूल बस में बच्चों की सूची के संदर्भ में 96.25% अविभावक सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूली बच्चों की सुरक्षा हेतु निर्दिष्ट दिशा निर्देशों की जानकारी नहीं रखते। स्कूल सुरक्षा अधिकारियों में 100% अवमानना को स्वीकार किया है। छात्रों की नजर में भी 100% स्कूल बसों में किसी भी प्रकार की कोई सूची होने को अस्वीकार किया हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्कूल के छात्र–छात्राओं की स्कूल बस सुरक्षा हेतु जो दिशा निर्देश दिये गये हैं उनका अनुपालन सागर नगर के प्रतिष्ठित सरकारी व गैर–सरकारी स्कूलों में केवल दिखावे के लिए हो रहा है। जिन दिशा–निर्देशों को लेकर शोधकर्ता ने अवलोकन तथा साक्षात्कार किया उसमें लगभग सभी दिशा निर्देशों के अनुपालन में गम्भीरतम लापरवाही देखने मिलती है। कुछ दिशा–निर्देशों के परिपालन में न के बराबर जागृति नजर आती है किंतु अधिकांश दिशा निर्देशों का अनुपालन न होकर अवमानना की जा रही है। स्कूल बसें हो या बस चालक इन सुरक्षा निर्देशों से सरोकार नहीं रखते । यहाँ तक की जिन अविभावकों के बच्चें स्कूलों में पढ़ने जाते हैं वे अविभावक अपने स्वयं के बच्चों के प्रति इस हद तक लापरवाह हैं इसकी

कल्पना नहीं की जा सकती। स्कूल बस अधिकारी एवं स्कूल के छात्र–छात्राएँ भी इन दिशा–निर्देशों के संबंध में लगभग अनभिज्ञ हैं। स्कूल बसों की सड़क दुर्घटनाओं में स्कूल प्रशासन, सामान्य प्रशासन, स्कूल बस ऑपरेटर, स्कूल बस चालक, स्कूली छात्र–छात्राओं के अविभावक तथा स्वयं स्कूली छात्र–छात्राओं की सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूल बस सुरक्षा हेतु जो दिशा निर्देश दिये गये हैं उनकी अनभिज्ञता तथा जन जागृति न होना एक बहुत बड़ा कारण है जो दुर्घटनाओं को आमंत्रण देता है जिससे स्कूली बच्चों को गम्भीर चोटें तथा असमय स्कूली छात्र–छात्राओं को काल के गाल में समा जाने को विवश करती हैं। एक सागर नगर में जब इस तरह के निष्कर्ष निकल कर सामने आ रहें हैं तो प्रदेश और देश स्तर पर क्या हो रहा होगा इसकी कल्पना की जा सकती है।

सुझाव

किसी भी कानून का बनना और उसका लागूकरण होना पृथक दृष्टिकोण है। देश एवं सामाजिक आधार पर कानूनों के लागूकरण में धर्म, आस्था, जाति, समूह, समुदाय अनेकानेक परिस्थितियाँ कानून के लागूकरण में व्याधियाँ उत्पन्न करती हैं परन्तु देश के भविष्य अर्थात् स्कूल के छात्र–छात्राओं के जीवन से खिलवाड़ या उनके सुरक्षा प्रतिमानों के प्रति गम्भीरता एवं घातक लापरवाही सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के आधार पर अपराध माना जाना चाहिए। ऐसे दिशा निर्देश जो हमारे बच्चों की सुरक्षा का कवच बन सकते हैं

उन्हें एक कानून के रूप में गम्भीरता से स्थापित करवाना चाहिए। उनका लागूकरण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ होना चाहिए। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्कूल बस सुरक्षा के प्रतिमान जो दिशा निर्देशों के रूप में निर्दिष्ट किये गये हैं उनके अनुपालन हेतु सभी आवश्यक संस्थानों, अविभावकों, स्कूल के छात्र–छात्राओं में जागृति अभिमान के माध्यम से जन जागृति लाना चाहिए।

संदर्भ

1. Mukesh Konde, School Bus Safety , Enviroconnect Newsletter, july 2014
2. Ibid
3. "मासूमों पर कहर, मौन ताकतें समाज और स्कूल" नायक आवाज, वर्ष 1, अंक 7, नई दिल्ली, जून 2017, पेज 46
4. Ibid, P. 47
5. Ibid, P. 49
6. Ibid, P. 49
7. Ibid, P. 49
8. Ibid, P. 51
9. Ibid, P. 51
10. Mukesh Konde, School Bus Safety , Enviroconnect Newsletter, july 2014
11. "Safety of School Children in the School Bus", Central Board of Secondary Education, Delhi, Fab. 2017
12. 'मोटर यान अधिनियम' 1988, कानून प्रकाशक, 29 वाँ संस्करण, जोधपुर, 2009, पेज 09